राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ

पत्रांक–विप0–2/परिषद बैठक अनुपालन/2018– 1432 दिनांक–02-11-2018

समस्त उप निदेशक (प्रशासन/विपणन)

मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

पोस्ट हार्वेस्ट को न्यून करने तथा इसके द्वारा किसानों की आय में वृद्वि के हित में मण्डी समिति द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक केटस/प्लास्टिक शीट उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव मा0 संचालक मण्डल की 155वीं बैठक दिनांक 24.07.2018 में रखा गया। मा0 परिषद के निर्णय के कम में मण्डी समितियों माध्यम से फल–सब्जियों को रखने हेतु लगभग 20 किलो धारिता के प्लास्टिक केटस एवं किसानों के मण्डी स्थल में ढेरी के नीचे बिछाने के लिए प्लास्टिक शीट (10फीटX10फीट) का कय एवं वितरण किया जाना है। प्लास्टिक केटस एवं प्लास्टिक शीट के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही संभाग स्तर पर की जानी है:

1. **प्लास्टिक केट्स के मानक का विवरण:–**

   लम्बाई लगभग 540 मिली0 मी0, चौड़ाई लगभग 360 मिली मी0

   ऊँचाई लगभग 290 मिली मी0, वजन न्यूनतम लगभग 1.5 किलो।

   केटो पर "राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0," "ई–नाम अपनाएं" तथा केट की संख्या एम्बोज्ड होगी।

कय की व्यवस्था

प्लास्टिक केटों का कय ई–टेण्डर के माध्यम से संभागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाएगी। इस समिति में संभागीय लेखाधिकारी तथा संभागीय मुख्यालय की मण्डी के सचिव सदस्य होंगे।

केटों की वितरण व्यवस्था

केटों के वितरण हेतु संशोधित अधिनियम के अनुसार मण्डी समिति के निर्वाचन/गठन तक की अवधि के लिए निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे:–

1.	सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति	अध्यक्ष
2.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित फल एवं सब्जी का गत कृषि वर्ष में सर्वाधिक मण्डी शुल्क देने वाला एक लाईसेन्सी व्यापारी	सदस्य
3.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित फल एवं सब्जी का गत कृषि वर्ष में सर्वाधिक मण्डी शुल्क देने वाला एक लाईसेंसधारी आढ़ती	सदस्य
4.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित गतवर्षो में उपहार योजना पाने वाले दो लाभान्वित कृषक	सदस्य
5.	सचिव, मण्डी समिति,	संयोजक

वितरण का आधार

वितरण से पूर्व तीन कृषि वर्षो में मण्डी में सबसे अधिक मूल्य योग के फल–सब्जी (आलू, प्याज व लहसुन को छोड़कर) लाने वाले किसान से आरम्भ कर घटते कम में प्रत्येक किसान को 4

क्रेट निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। मण्डी समितिवार किसानों की संख्या का क्रेट निम्नवत् होगा:–

क्र0स0	विवरण	किसान	प्रति नग	कुल क्रेट
1	"क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में	200	04	800
2	"क" श्रेणी की मण्डी में	125	04	500
3	"ख" श्रेणी की मण्डी में	100	04	400
4	"ग" श्रेणी की मण्डी में	75	04	300

इसके अतिरिक्त एक वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत की संख्या तक टूटे फूटे क्रेट को उपनिदेशक (प्रशासन/विपणन) की स्वीकृति पर नये क्रेटों से बदला जा सकेगा।

2. **प्लास्टिक शीट के मानक का विवरण:–**

लम्बाई 10फीटX10फीट

वजन लगभग 1.75 किलोग्राम से 2.00 किलोग्राम तक

प्लास्टिक शीट पर "राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0," "ई–नाम अपनाएं" तथा संख्या छपी होगी।

क्रय की व्यवस्था

प्लास्टिक शीटों का क्रय ई–टेण्डर के माध्यम से संभागीय उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाएगी। इस समिति में संभागीय लेखाधिकारी तथा संभागीय मुख्यालय की मण्डी के सचिव सदस्य होंगे।

प्लास्टिक शीट की विपणन व्यवस्था

प्लास्टिक सीट के वितरण हेतु संशोधित अधिनियम के अनुसार मण्डी समिति के निर्वाचन/गठन तक की अवधि के लिए निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्न अध्यक्ष/सदस्य होंगे:–

1.	सभापति, कृषि उत्पादन मण्डी समिति	अध्यक्ष
2.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित खाद्यान का गत कृषि वर्ष में सर्वाधिक मण्डी शुल्क देने वाला एक लाईसेन्सी व्यापारी	सदस्य
3.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित गत कृषि वर्ष में सर्वाधिक मण्डी शुल्क देने वाला खाद्यान का एक लाईसेन्सधारी आढ़ती	सदस्य
4.	सभापति, मण्डी समिति द्वारा नामित गत वर्षो में उपहार योजना में पाने वाले दो लाभान्वित कृषक	सदस्य
5.	सचिव, मण्डी समिति	संयोजक

वितरण का आधार

वितरण से पूर्व तीन कृषि वर्षो में अधिक मूल्य योग के निर्दिष्ट कृषि उत्पाद लाने वाले व्यापारी से आरम्भ कर घटते क्रम में मण्डी समितिवार व्यापारी की संख्या निम्नवत् होगी:–

क्र0स0	विवरण	व्यापारी	प्रति नग	प्लास्टिक शीट
1	"क" विशिष्ट श्रेणी की मण्डी में	50	04	200
2	"क" श्रेणी की मण्डी में	40	04	160
3	"ख" श्रेणी की मण्डी में	30	04	120
4	"ग" श्रेणी की मण्डी में	20	04	80

इसके अतिरिक्त एक वर्ष के उपरान्त 25 प्रतिशत की संख्या तक कटी–फटी प्लास्टिक शीटों को उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) की स्वीकृति पर नयी प्लास्टिक शीट से बदला जा सकेगा।

वित्तीय व्यवस्था

प्लास्टिक केटस/शीट पर होने वाले व्यय के बजट की मांग औचित्य दर्शाते हुए सम्बन्धित मण्डी समिति द्वारा उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) के माध्यम से परिषद मुख्यालय से प्राप्त की जाएगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित करें।

31.10.10
(रमाकान्त पाण्डेय)
निदेशक।

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. वित्त नियत्रंक, मण्डी परिषद, मुख्यालय।
2. उप निदेशक (प्रशासन/विपणन) मण्डी परिषद, लखनऊ सम्भाग को इस आशय से कि वे उक्त मानकों के आधार पर प्लास्टिक केटस/शीट ई–टेण्डर के माध्यम से कय करके एक–एक नग नमूने के तौर पर परिषद मुख्यालय के स्टोर अनुभाग में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
3. समस्त सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, उत्त प्रदेश।
4. व्यवस्थाधिकारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय।

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
अपर निदेशक (प्रशासन)